[2018] 9 एस. सी. आर. 363

रानी और ओ. आर. एस.

वी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड। & ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 9078-9079 2017 का)

31 जुलाई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

एस. 166 – मोटर दुर्घटना-एक की मृत्यु और दूसरे व्यक्ति को चोट लगने के परिणामस्वरूप दो अलग-अलग दावे (एक कानूनी रूप से) मृतक के प्रतिनिधियों और घायल व्यक्ति द्वारा एक अन्य) न्यायाधिकरण ने कानूनी को रु. 4,53,000/- का मुआवजा दिया।

मृतक के प्रतिनिधियों और घायल दावेदार को रु. 1,72,700/- बीमा कंपनी ने अपील दायर की-उच्च न्यायालय ने मृतक के संबंध में मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया और दोषमुक्त कर दिया

बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि का भुगतान करने से रोकने के लिए उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक पर दायित्व निर्धारित करना-अपील में, दावेदारों ने बीमा कंपनी को दोषमुक्त करने के आदेश को रद्द करने के साथ-साथ मुआवजे की राशि को बढ़ाने की मांग की-आयोजितः दावेदारों को अधिकार नहीं है

मुआवजे में वृद्धि क्योंकि उच्च न्यायालय ने केवल मुआवजे से अधिक राशि प्रदान की है-हालाँकि, बीमा कंपनी को संबंधित दावेदारों को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता होती है।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने के लिए कोई अपील दायर नहीं की

क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करना। यह बीमा कंपनी है जिसने दावेदारों के पक्ष में पुरस्कार को चुनौती दी थी। फिर भी, उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) के आदेश 41 नियम 33 के तहत शक्ति का उपयोग करके उन्हें देय मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया। बीमा

कंपनी ने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उक्त दृष्टिकोण को चुनौती नहीं दी है। न्यायालय के रूप में यह पहले से ही एक निष्कर्ष प्राप्त करने में सफल रहा है

उच्च न्यायालय ने कहा कि मुआवजे की राशि का भुगतान करने का दायित्व उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक तक ही सीमित था। [पैरा 11] [371-डी-एफ] 1.2 न्यायाधिकरण ने पाया था कि दावेदारों द्वारा मृतक की आय के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। कि

मृतक की आय रु। 3000 / - Rs.10,000/- प्रति माह तर्कहीन और कमजोर है। मृतक की मासिक आय के संबंध में साक्ष्य की कमी की पृष्ठभूमि में न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए न्यायसंगत निष्कर्ष को खारिज करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है। [पैरा 13] [372-ए-सी] 1.3 उच्च न्यायालय ने पहले ही कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे की राशि से अधिक राशि प्रदान कर दी है

मृतक। इसमें, भले ही भविष्य की संभावनाओं, अतिरिक्त चिकित्सा खर्चों और अतिरिक्त ब्याज राशि के बारे में अपीलकर्ताओं के दावे को स्वीकार किया जाना था, प्रति माह Rs.5000/- (पांच हजार रुपये) की काल्पनिक आय के आधार पर, 2011 के एम. एफ. ए. No.5874 में अपीलार्थियों को अतिरिक्त या आगे मुआवजे की राशि देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हालाँकि, अपील इस हद तक सफल होगी कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान पहले बीमा कंपनी द्वारा उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाएगा। [पैरा 14] [372-डी-एफ]

सिंह राम बनाम। निर्मला और ओआरएस। (2018) 3 एस. सी. सी. 800; पप्पु और अन्य। वी. विनोद कुमार लांबा और अन्र। (2018) 3 एससीसी 208: [2018] 1 एस. सी. आर. 195- पर निर्भर।

2. घायल दावेदार द्वारा दायर अपील के संबंध में भी न्यायाधिकरण ने पाया था कि वह किसी भी याचिका को प्रस्तुत करने में विफल रहा।

उनकी मासिक आय और स्थायी विकलांगता के बारे में साक्ष्य का निर्धारण आरएएनआई और ओआरएस से अधिक नहीं के रूप में किया गया था।

वी. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड। & ओआरएस।

10 % पूरे शरीर को और उस आधार पर उसे मुआवजा दिया गया था। नतीजतन, इस अपील में भी, बीमा कंपनी को सबसे पहले दावेदार को दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता होती है। [पैरा 15] [373-ए-सी]

मामला कानून

संदर्भ

(2018) 3 एससीसी 800

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[2018] 1 एससीआर 195

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

न्यायनिर्णयः सिविल अपील

सिविल अपील

नं. 9078-9079 2017 से।

उच्च न्यायालय के 12.02.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एम. एफ. ए. सं. 5874/2011 (एम. वी.) सी/डब्ल्यू. एम. एफ. ए. No.5876/2011 (एम. वी.) में बेंगलुरु में कर्नाटक का न्यायालय।

आनंद संजय एम. नुली, धर्म सिंह, नंद कुमार के. बी.

(एम/एस के लिए। नुली और नुली, अधिवक्ता) अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

परमानंद गौर, एकनाथ बंसल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. ये अपीलें अपवाद लेती हैं -

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बेंगलुरु में 12 फरवरी, 2016 को 2011 (एम. वी.) के एम. एफ. ए. No.5874 और 2011 (एम. वी.) के एम. एफ. ए. No.5876 में पारित सामान्य निर्णय और आदेश।

ये दोनों अपीलें प्रत्यर्थी संख्या 1 (राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड) द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बैंगलोर द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2011 को एमवीसी No.7055 में पारित निर्णय और पुरस्कार की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थीं।

2009 और 2009 का क्रमशः 7056।

2. 2009 की पूर्व दावा याचिका एमवीसी No.7055 द्वारा दायर की गई थी

17 मार्च, 2009 को हुई एक दुर्घटना में सतीश (मृतक) के कानूनी प्रतिनिधियों को चोटें आईं, जब वह पंजीकरण वाली मोटरसाइकिल चला रहे थे No.KA-05-EJ-4029 अपने दोस्त आनंद के साथ, जो उनके साथ पिलियन सवार के रूप में यात्रा कर रहा था। दुर्घटना के संबंध में पुलिस शिकायत 2017 की सिविल अपील No.9079 में अपीलार्थी आनंद द्वारा दर्ज की गई थी। द.

दुर्घटना पंजीकरण No.MH-43-U-3365 वाले लॉरी के कारण हुई थी, जिसे जल्दबाजी और लापरवाही से तेज गति से चलाया जा रहा था।

उक्त लॉरी पीछे से आई और उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिस पर सतीश और आनंद बैंगलोर से तुमकुर की ओर जा रहे थे। दोनों नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सतीश, जो सवारी कर रहा था

न्यायाधिकरण ने पाया कि दुर्घटना चकत्ते के कारण हुई थी और उल्लंघनकारी वाहन के चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाना। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि प्रतिवादियों ने दावेदारों के मामले को गलत साबित करने के लिए आरोप पत्र सामग्री और अन्य दस्तावेजों को चुनौती नहीं दी थी और इस तरह, यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि यह अंशदायी लापरवाही का मामला था।

4. यह कहने के बाद, न्यायाधिकरण दावेदारों को भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा। ऐसा करते समय, यह नोट किया गया है कि मृतक (सतीश) के कानूनी प्रतिनिधियों ने मैकेनिक काम से उसकी मासिक आय दिखाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। न्यायाधिकरण ने कहा कि दुर्घटना के समय मृतक (सतीश) की आयु लगभग 30 वर्ष थी और उसके परिवार में तीन आश्रित थे, उनकी पत्नी, बेटी और मां (दावेदार)। मृतक (सतीश) की आय के संबंध में साक्ष्य के अभाव में, न्यायाधिकरण ने 3,000/- रुपये प्रति माह की दर से अनुमानित आय ली और व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई राशि की कटौती प्रदान करने और 17 के गुणक को लागू करने के बाद, निर्भरता का नुकसान निर्धारित किया। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने शव को अस्पताल से घर ले जाने के लिए 5,000/- रुपये की मंजूरी दी। 10,000 / - संघ के नुकसान के शीर्ष के तहत, Rs.10,000/- प्रेम और स्नेह के नुकसान के शीर्ष के तहत, Rs.10,000/- संपत्ति के नुकसान के लिए और रु। 10,000 / - अंतिम संस्कार और संस्कार समारोहों की ओर। को देय कुल क्षतिपूर्ति राशि मृतक (सतीश) के कानूनी प्रतिनिधियों को याचिका की तारीख से जमा करने की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु. 4,53,000/- (केवल चार लाख पचास तीन हजार) निर्धारित किया गया था। न्यायाधिकरण ने आगे के निर्देश जारी किए

तीन दावेदारों के बीच राशि का वितरण और विनियोग।

रानी और ओ. आर. एस. वी. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

5. 2009 के एम. वी. सी. No.7056 में आनंद (दावेदार) द्वारा दायर दावा याचिका के संबंध में, न्यायाधिकरण ने नोट किया कि उन्हें फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा था।

एम. सी. एल. टियर के साथ कोलीज़ (बाएँ) और ए. सी. एल. टियर, हेमार्थ्रोसिस के साथ दाएँ घुटने और के-तार के साथ उनके बाएँ हाथ का ऑपरेशन किया गया था। वह 4 दिनों तक अस्पताल में एक इनडोर मरीज थे और उन्होंने दवा, उपचार, भोजन, परिवहन और अन्य खर्चों के लिए भारी राशि खर्च की थी। पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद, न्यायाधिकरण ने पाया कि आनंद को स्थायी रूप से अक्षमता का सामना करना पड़ा था, जो कोलिस के फ्रैक्चर और दाहिने घुटने की चोट के कारण पूरे शरीर के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं था। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि अपनी आय को साबित करने के लिए उनके द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था और इसलिए, न्यायाधिकरण ने उनकी अनुमानित आय का आकलन 3,000/- रुपये प्रति माह किया। इसके बाद न्यायाधिकरण ने आनंद को दर्द और पीड़ा के लिए Rs.30,000/-, चिकित्सा खर्च के लिए <ID1,500/-, निर्धारित अवधि के दौरान कमाई का नुकसान <ID2,000/-, स्थायी विकलांगता के कारण भविष्य की कमाई का नुकसान <ID3,200/-, सुविधाओं का नुकसान और भविष्य में <ID2,000/- पर नाखुशी, परिचर शुल्क, आहार और <ID4,000/- पर यात्रा और भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए <ID2,000/- पर देय मुआवजे की राशि प्रदान करने के लिए आगे बढ़े। मुआवजे की कुल राशि रु. 1,72,700/- (एक लाख 72 हजार सात) थी।

केवल सौ) उत्तरदाताओं द्वारा याचिका की तारीख से जमा करने की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से देय राशि पर भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। न्यायाधिकरण द्वारा पारित कार्यकारी आदेश इस प्रकार हैः

" आदेश

दोनों याचिकाएं एम. वी. सी. No.7055/2009 और 7056/2009 यू/सेक द्वारा दायर की गई हैं। 166 याचिकाकर्ताओं द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अंशतः

उत्तरदाताओं के खिलाफ लागत के साथ अनुमति दी गई।

M.V.C.No.7055/2009 और 7056/2009 में याचिकाकर्ता हैं

कुल मुआवजे की राशि के साथ सम्मानित किया गया। 4,53,000 /

(रु. चार लाख तैंतीस हजार केवल) और रु. 1,72,700/(रु. एक लाख बयालीस हजार सात सौ केवल), दोनों
मामलों में, याचिकाओं की तारीख से जमा की तारीख तक क्रमशः 6 प्रतिशत ब्याज के साथ। भविष्य के चिकित्सा खर्च नहीं

एम. वी. सी. No.7056/2009 में कोई भी रुचि रखें। दोनों उत्तरदाता संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से लागत और ब्याज के साथ उपरोक्त मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

याचिकाकर्ता। हालाँकि, यह प्रथम प्रतिवादी को जमा करने के लिए निर्देशित किया जाता है

इस तारीख से 30 दिनों के भीतर उपरोक्त मुआवजे की राशि आदेश, अंतरिम मुआवजे के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि को काटने के बाद

उल्लङ्घन करने वाले वाहन का बीमाकर्ता होना।

एम. वी. सी. में प्रदत्त मुआवजे की राशि जमा करने के बाद

No.7055/2009, रुपये की राशि। 1,15,000 / - और Rs.60,000/-, क्रमशः पहले और तीसरे याचिकाकर्ताओं के नाम पर FD के रूप में जमा किए जाएंगे।

5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी पसंद के किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में। उक्त एफ. डी. पर अनुमति के बिना किसी भी ऋण की अनुमति नहीं है।

यह न्यायाधिकरण।

प्राप्त ब्याज के साथ शेष राशि जारी की जाएगी।

उचित पहचान पर क्रमशः और अलग से चेक। एम. वी. सी. No.7055/2009 में उसके स्वाभाविक अभिभावक और माँ/प्रथम याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए नाबालिग दूसरे याचिकाकर्ता के नाम पर आदेशित पूरी राशि को उसके नाम पर एफ. डी. के रूप में रखा जाएगा।

5 की अवधि के लिए अपनी पसंद का राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक वर्ष या जब तक वह वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं कर लेती, जो भी बाद में हो। इस न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना एफ. डी. पर किसी भी ऋण की अनुमति नहीं है। प्रथम याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता संख्या 2 के रखरखाव के लिए उक्त एफ. डी. राशि पर आवधिक ब्याज प्राप्त करने का हकदार है।

एम. वी. सी. में मुआवजे की राशि जमा करने के बाद

No.7056/2009, Rs.85,000/- की राशि याचिकाकर्ता के नाम पर उसके किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में FD के रूप में रखी जाएगी। 5 साल की अवधि के लिए विकल्प। बिना एफ. डी. के किसी भी प्रकार के ऋण की अनुमति नहीं है।

इस न्यायाधिकरण की अनुमति।

उपार्जित ब्याज के साथ शेष राशि फिर से दी जाएगी।

उचित पहचान पर खाता प्राप्तकर्ता चेक के माध्यम से एम. वी. सी. No.7056/2009 में याचिकाकर्ता के नाम पर पट्टे पर दिया गया।

प्रत्येक मामले में अधिवक्ता की फीस Rs.500/- निर्धारित की जाती है।

तदनुसार पुरस्कार प्राप्त करें "।

6. न्यायाधिकरण द्वारा पारित इस सामान्य निर्णय के विरुद्ध,

नं. 1 बीमा कंपनी ने इस मामले को क्रमशः 2011 (एम. वी.) के एम. एफ. ए. No.5874 और 2011 (एम. वी.) के एम. एफ. ए. 876 के रूप में उच्च न्यायालय में अपील में उठाया। कंपनी द्वारा उठाया गया प्रमुख मुद्दा यह था कि न्यायाधिकरण आर. ए. एन. आई. और ओ. आर. एस. को तय नहीं कर सकता था।

वी. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बीमाकर्ता पर दायित्व क्योंकि उल्लंघन करने वाले वाहन के पास कर्नाटक राज्य में काम करने के लिए वैध परमिट नहीं था

149 (2) (क) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का (i) (क)। क्योंकि, अनुमति महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित थी।

7. अपीलकर्ताओं ने ठोस अपील दायर नहीं की, लेकिन प्रतिआवेदन दायर किया

एम. एफ. ए. क्रोब वाले बीमाकर्ता द्वारा दायर अपीलों में आपत्तियाँ। नं. 187 और 2013 का 188। हालाँकि, कार्यालय की आपत्तियों का पालन न करने के कारण उक्त क्रॉस आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। फिर भी, बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील में

मृतक (सतीश) को दी गई मुआवजे की राशि, उच्च न्यायालय ने मृतक (सतीश) के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय मुआवजे की राशि को उसकी अनुमानित आय Rs.10,000/- प्रति माह के रूप में ध्यान में रखते हुए बढ़ाने का फैसला किया। यह उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को पलट दिए बिना किया गया था कि दावेदारों द्वारा संबंधित समय पर मृतक (सतीश) की मासिक आय को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। इसके बजाय उच्च न्यायालय ने मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस और प्रशिक्षण पर भरोसा किया

बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा जारी मृतक का प्रमाण पत्र, जिसमें उल्लेख है कि

सतीश ने प्रशिक्षण में भाग लिया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने कानूनी को देय मुआवजे की राशि को फिर से निर्धारित किया

मृतक (सतीश) के प्रतिनिधियों ने मृतक की उच्च अनुमानित आय पर <ID1,000/- प्रति माह की दर से और निम्नलिखित गणना पर पहुंचे जिसके आधार पर अपील का निपटारा निम्नलिखित शब्दों में किया गयाः

" 9. एम. एफ. ए. No.5874/2011 में देय कुल मुआवजा आता है

विभाजन इस प्रकार हैः

((i) निर्भरता के नुकसान की ओर

: Rs.13,60,068

/

((ii) संघ के नुकसान की ओर रु. 1 रु. 1,00,000 /

((iii) प्रेम और स्नेह की हानि की ओरः

रु.

1,00,000 /

आर 2 तक

((iv) पारंपरिक प्रमुख

: रु. 40,000 /

कुल

Rs.1

6,00,068/[2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. तदनुसार, M.F.A.No.5874/2011 की अनुमति है और आक्षेप किया गया है

एम. वी. सी. में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और निर्णय।

No.7055/2009 रुपये के बजाय Rs.16,00,000/- का मुआवजा देते हुए संशोधित किया गया है। बढ़े हुए मुआवजे पर याचिका की तारीख से जमा होने तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। सचिव, कानूनी सेवा समिति को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है

उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक को आदेश भेजें और

उसे तीन महीने की अवधि के भीतर राशि जमा करने के लिए सूचित करें। मालिक द्वारा राशि जमा करने में विफलता के मामले में

उल्लंघन करने वाला वाहन, कानूनी सेवा समिति करेगी कार्रवाई कानून के अनुसार "।

2017 की सिविल अपील No.9079 में अपीलार्थी आनंद के पक्ष में पारित पुरस्कार के खिलाफ बीमाकर्ता द्वारा की गई अपील के संबंध में, इसका निपटारा निम्नलिखित शर्तों पर किया गया थाः

" 11. एम. एफ. ए. No.5876/2011 में विवाद यह है कि बीमाकर्ता पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि बीमाकर्ता द्वारा अनुमति का उल्लंघन किया गया है।

कर्नाटक में वाहन चलाना। इसलिए, दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

मालिक के बारे में।

12. एम. एफ. ए. No.5876/2011 का निपटारा कर दिया गया है। मालिक को पुरस्कार को संतुष्ट करने का निर्देश दिया जाता है। जमा की गई राशि को वापस करने का निर्देश दिया जाता है

बीमाकर्ता को-अपीलार्थी "।

अपराध करने वाला वाहन। इसलिए, बीमाकर्ता ने कानूनी को देय मुआवजे की राशि में वृद्धि के खिलाफ अपील दायर नहीं की। मृतक के प्रतिनिधि (सतीश)। हालाँकि, वर्तमान अपील (2017 की सिविल अपील No.9078) मृतक (सतीश) की विधवा और बेटी द्वारा दायर की गई है। उन्होंने न केवल उच्च न्यायालय द्वारा बीमाकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त करने के दृष्टिकोण की शुद्धता को चुनौती दी है, बल्कि आगे की वृद्धि के लिए भी चुनौती दी है

मुआवजे की राशि। इसी तरह, घायल पिलियन सवार आनंद ने भी उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के दायित्व को सीमित करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए एक अलग अपील दायर की है, लेकिन मुआवजे की राशि की मात्रा पर भी। दोनों अपीलों में, वैकल्पिक रूप से यह आग्रह किया जाता है कि मुआवजे की राशि आरएएनआई और ओआरएस हो।

वी. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संबंधित दावेदारों को देय भुगतान पहले बीमा कंपनी द्वारा बीमा कंपनी के मालिक से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाना चाहिए।

उल्लङ्घन करने वाला वाहन, प्रत्यर्थी सं. 2।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कंपनी प्रस्तुत करती है कि वैधानिक प्रावधानों के आधार पर, उसे मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उल्लंघन करने वाले वाहन के पास कर्नाटक राज्य में संचालित होने के लिए वैध परमिट नहीं था। यह भी तर्क दिया जाता है कि बीमा कंपनी के खिलाफ भुगतान और वसूली के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बीमा कंपनी के लिए उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि, उल्लंघन करने वाले लॉरी के मालिक ने इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का विकल्प नहीं चुना है।

10. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आनंद संजय एम. नुली और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान वकील श्री परमानंद गौर को सुना है। 11. मृतक (सतीश) के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर अपील को पहले लेते हुए, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उन्होंने न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने वाली कोई अपील दायर नहीं की।

याचिका की तारीख से जमा की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ उन्हें देय मुआवजे की राशि रु. 4,53,000/- (केवल चार लाख पचास तीन हजार)। यह प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कंपनी है जिसने दावेदारों के पक्ष में पुरस्कार को चुनौती दी थी और उन अपीलों में दावेदार (अपीलकर्ताओं सहित)

2017 की सिविल अपील (आई. डी. 1) ने क्रॉस आपत्तियां दायर कीं, जिन्हें कार्यालय की आपत्तियों को न हटाने के लिए खारिज कर दिया गया।

फिर भी, उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) के आदेश 41 नियम 33 के तहत शक्ति का उपयोग करके उन्हें देय मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया। बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उक्त दृष्टिकोण को चुनौती नहीं दी है क्योंकि वह पहले ही उच्च न्यायालय से यह निष्कर्ष प्राप्त करने में सफल हो चुकी है कि देयता का भुगतान करना है

क्षतिपूर्ति राशि उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 तक सीमित थी। 12. यह मानते हुए कि मृतक (सतीश) के कानूनी प्रतिनिधि (2017 की सिविल अपील में अपीलार्थी) वृद्धि की मांग कर सकते हैं।

बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त करने के उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील में मुआवजे की राशि का सवाल यह है कि क्या

अपीलार्थी अधिक बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि का दावा करना उचित समझते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. न्यायाधिकरण ने पाया है कि मृतक (सतीश) की आय के संबंध में दावेदारों द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। यह खोज

उच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस और बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा जारी मृतक के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर भरोसा किया और उस आधार पर, दुर्घटना के समय सतीश (मृत) की अनुमानित आय Rs.10,000/- प्रति माह निर्धारित की। न तो ड्राइविंग लाइसेंस और न ही प्रमाण पत्र को यह मानने या अनुमान लगाने का आधार बनाया जा सकता है कि मृतक (सतीश) प्रासंगिक समय पर लाभकारी रूप से कार्यरत था और अधिक से अधिक प्रति माह Rs.10,000/- की आय अर्जित कर रहा था। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय द्वारा अनुमानित आय बढ़ाने के लिए दिया गया कारण

मृतक (सतीश) रु। 3000 / - रु. तक। 10,000 / - प्रति माह तर्कहीन और कमजोर होता है। न्याय को त्यागने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है।

मृतक (सतीश) की मासिक आय के संबंध में साक्ष्य की कमी की पृष्ठभूमि में न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष।

14. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय पहले ही अनुमति दे चुका है

मृतक (सतीश) के कानूनी प्रतिनिधियों को केवल मुआवजे की राशि से अधिक। उस में, भले ही भविष्य की संभावनाओं, अतिरिक्त चिकित्सा खर्चों और अतिरिक्त ब्याज के बारे में अपीलकर्ताओं का दावा

राशि को अनुमानित आय के आधार पर स्वीकार किया जाना था

Rs.5000/- (पाँच हजार रुपये) प्रति माह, 2011 के एम. एफ. ए. No.5874 में अपीलार्थियों को अतिरिक्त या आगे के मुआवजे की राशि देने का सवाल नहीं उठता है। हालाँकि, अपील इस हद तक सफल होगी कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान पहले प्रतिवादी संख्या 1 बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा, जिसमें उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता होगी (प्रतिवादी संख्या 2 यहाँ)। हम सिंह राम बनाम निर्मला और Ors.[1] और पप्पु और अन्य में व्याख्या को ध्यान में रखते हुए इस सीमित सीमा तक अपील की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं। बनाम विनोद कुमार लांबा और अन्र। 2

15. आनंद (2011 का एम. एफ. ए. No.5876) के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कंपनी द्वारा की गई अपील पर लौटना, जैसा कि पैराग्राफ संख्या में उल्लेख किया गया है। 11 और ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए विवादित निर्णय के 12 में, उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त करके उक्त अपील का निपटारा कर दिया। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है,

अपीलार्थी (आनंद) ने पारित पुरस्कार के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की। 1 (2018) 3 एससीसी 800

क्षतिपूर्ति राशि को बढ़ाने के लिए न्यायाधिकरण और बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील में उनके द्वारा दायर प्रति-आपत्ति को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया। इस अपील के संबंध में भी, न्यायाधिकरण ने पाया था कि वह अपनी मासिक आय के बारे में कोई सबूत पेश करने में विफल रहा और उसे स्थायी रूप से अक्षमता का सामना करना पड़ा क्योंकि वह पूरे शरीर के लिए 10 प्रतिशत से अधिक नहीं था और उसी आधार पर उसे मुआवजा दिया गया था। परिणामस्वरूप, हम प्रतिवादी संख्या 1 बीमा कंपनी को सबसे पहले दावेदार (आनंद) को दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर उसी आधार पर इस अपील का निपटारा करने का इरादा रखते हैं, जिसमें उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक (प्रतिवादी संख्या 2) से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता हो।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 बीमा कंपनी को पहले मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देकर अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित संबंधित दावेदारों के लिए राशि, उल्लंघनकारी वाहन के मालिक, प्रतिवादी संख्या 2 से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता के साथ। द इम्पाग्ड

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को इस सीमित सीमा तक संशोधित किया गया है।

17. अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी